139

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2025-तीन/2011 - विरूद्ध- आदेश दिनॉक 13-8-1998 - पारित व्दारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर - प्रकरण कमांक 385-अ-19/1996-97 निगरानी

रामाधीन (मृतक) पुत्र पल्टुआ

वारिस

1- श्रीमती तीजा पत्नि स्व.रामाधीन

2- कैलाश पुत्र स्व. रामाधीन

3- बृजलाल पुत्र स्व.रामाधीन

सभी ग्राम लालोनी पोस्ट बगौता

साकिन अमानगंज तहसील व जिला

छतरपुर मध्य प्रदेश ।

---आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन

--अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)

(अनावेदक के पैनल लायर श्री अनिल श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनॉक 19 - 9 -2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 385-अ-19/1996-97 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-8-1998 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश है कि मृतक रामाधीन ने तहसीलदार छतरपुर

को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम अमानगॅज स्थित भूमि सर्वे नंबर 216 रकबा 1.145 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर वर्ष 1980 से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है किन्तु हलका पटवारी ने उसके बजाय वर्ष 1986-87 के खसरे में उसके पिता पल्टुवा का कब्जा लिख दिया है जबकि कब्जा मौके पर उसीका निरन्तर रहा है, इसलिये इस भूमि को उसके नाम व्यवस्थापित किया जावे। तहसीलदार छतरपुर ने प्रकरण कमांक 5 अ-19/1989-90 पंजीबद्ध किया तथा जॉच एंव सुनवाई पूर्णकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर की ओर अनुमोदन हेतु प्रेषित किया। अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर ने तहसीलदार व्दारा की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया। तहसीलदार छतरपुर ने आदेश दिनांक 26-5-90 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि मृतक रामाधीन के नाम व्यवस्थापित कर दी। तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण का परीक्षण करने पर अनियमितातायें पाने के कारण कलेक्टर छतरपुर ने स्वमेव निगरानी प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की। इसी दरम्यान कलेक्टर से स्वमेव निगरानी की शक्तियॉ वापिस लेने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर को निराकरण हेतु अंतरित हुआ, जिस पर से अपर आयुक्त, सागर संभाग ने प्रकरण कमांक 385-अ-19/1996-97 स्वमेव निगरानी पंजीबद्ध किया तथा आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 13 अगस्त 1998 पारित किया तथा तहसीलदार का व्यवस्थापन आदेश दिनांक 26-5-90 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तहसीलदार ने मौके की जॉच की है तथा विधिवत् कार्यवाही करने पर रामाधीन का कब्जा वर्ष 1980 से निरन्तर पाया है तहसीलदार की कार्यवाही का अनुविभागीय अधिकारी ने अनुमोदन किया है स्पष्ट है कि तहसीलदार व्दारा की गई कार्यवाही सर्वथा ठीक रही है। तहसीलदार के आदेश दिनांक 26-5-90 से व्यवस्थापित भूमि के विरूद्ध अपर आयुक्त ने वर्ष 1996-97 में जाकर अतिविलम्ब से स्वमेव निगरानी दायर कर 8 वर्ष वाद व्यवस्थापन निरस्त किया है जबकि आवेदकगण भूमि व्यवस्थापन में प्राप्त करने के वाद उनके निवास के लिये घर बना चुके है तथा उबड़ खावड़ भूमि को कृषि योग्य बनाकर धन खर्च कर चुके है एंव सिंचाई का साधन भी बनाया है व उन्नत कृषि कर रहे है इसलिये अब उनसे भूमि वापिस लेना उनके परिवार को बेरोजगार करना है।

रिस्पा0 के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तहसीलदार ने अपात्र व्यक्ति को भूमि व्यवस्थापित की है भूमि पर आवेदकगण का कब्जा 2-10-84 को प्रमाणित नहीं पाया गया जिसके कारण अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने प्रकरण कमांक 385-अ-19/1996-97 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-8-1998 से त्रृटिपूर्ण व्यवस्थापन ठीक निरस्त किया है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के आदेश दिनांक 13-8-1998 में आये विवरण से यह तथ्य निर्विवाद है कि मृतक रामाधीन व्दारा वादग्रस्त भूमि के व्यवस्थापन हेतु आवेदन देने पर तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 5 अ-19/1989-90 पंजीबद्ध करके जॉच की है तथा जॉच में जब यह प्रमाणित हो गया है कि

आवेदक का अतिक्रमण 1980 से निरन्तर है एंव मौके पर काविज होकर खेती कर रहा है तभी जॉच पूर्णकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर की ओर अनुमोदन हेतु प्रेषित किया। अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर ने तहसीलदार के प्रकरण का भलीभॉति परीक्षण कर अनुमोदन प्रदान किया है स्पष्ट है कि तहसीलदार व्दारा की गई कार्यवाही में दोष नहीं है इसके वाद अपर आयुक्त, सागर संभाग व्दारा आदेश दिनांक 13-8-98 में यह अंकित कर निष्कर्ष देना कि म0प्र0कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के प्रावधानानुसार आवेदक का 2-10-84 का कब्जा प्रमाणित नहीं पाया गया है, तहसीलदार व्दारा की गई जॉच एंव स्थल जॉच के विपरीत निर्णय है। यदि तहसीलदार व्दारा कब्जे के सम्बन्ध में गलत जॉच की गई थी, अनुविभागीय अधिकारी जॉच से सहमत होकर अनुमोदन नहीं करते। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 13 अगस्त, 1998 में निकाला गया निष्कर्ष वास्तविकता के विपरीत है।

6/ यदि आवेदकगण के अभिभाषक के इस तर्क पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय कि भूमि व्यवस्थापन में प्राप्त करने के वाद आवेदकगण निवास के लिये घर बना चुके है तथा उबड़ खावड़ भूमि को कृषि योग्य बनाकर धन खर्च कर चुके है एंव सिंचाई का साधन भी उन्होंने बनाया है व उन्नत कृषि कर रहे है। इन्दर सिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0राज्य 2009 रा0नि0 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया - सरकारी भूमि घोषित नहीं की सकती - प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई प्रकियात्मक त्रृटि के कारण भूमिहीन बंटितियों को भूमि के

आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार देवी प्रसाद विरूद्व नाके J.L.J. 155= 1975 R.N. 67= 1975 R.N. 208 का न्याय दृष्टांत है कि भूमि का आवन्टन 5 वर्ष पूर्व किया गया। आवंटिति को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त । तत्पश्चात् आवन्टन रद्व नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने इन तथ्यों पर ध्यान न देते हुये वास्तविकता के विपरीत अर्थ निकालकर आवेदकगण के हित में वर्ष 1990 में हुये भूमि व्यवस्थापन को निरस्त करने में भूल की है जिसके कारण अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 385-अ-19/1996-97 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-8-1998 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 385-अ-19/1996-97 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-8-1998 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव तहसीलदार छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 5 अ-19/1989-90 में पारित आदेश दिनांक 26-5-90 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर